न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 354/2016/75 (2016//00354)

1. अमरचंद पुत्र स्व0 दशरथ,
2. मूलचंद पुत्र स्व0 दशरथ,
   समस्त जाति सैन, निवासी ग्राम नान्द, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश शिविर अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर क्रमांक/राज/अभि/96/269 दिनांक 31.1.1996.

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (शिविर अधिकारी) के आदेश दिनांक 31.1.1996 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. अपीलांटस के पिता स्व0 दशरथसिंह पुत्र स्व0 हजारी के कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम नान्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका आराजी खसरा नंबर 1625/705 रकबा 12—10—00 किस्म बारानी—3 है । उपरोक्त आराजियात पर अपीलांटस के पिता स्व0 दशरथसिंह का कब्जा काश्त लंबे समय से निर्बाद्ध रूप से चला आ रहा है । अपीलांटस के पिता के द्वारा आवंटन शिविर ग्राम नान्द में दिनांक 31.1.1996 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलाधीन आराजी का आवंटन अपीलांटस के पिता किया जावे परन्तु अपीलांटस के पिता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गलत टिप्पणी के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.1.1996 के तहत निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस के पिता स्व0 दशरथ सिंह के द्वारा दिनांक 31.1.1996 को राजस्व कैम्प नान्द में अपीलाधीन आराजियात खसरा नंबर

1625/705 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के आवंटन बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । अपीलांटस के पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी में यह अंकित किया गया है कि अपीलांटस के पिता का मौके पर कब्जा नहीं है और उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया । जमाबंदी संवत् 2017 से 2018 व संवत् 2020 से 2024 में अपीलाधीन आराजियात खसरा नंबर 1625/705 के पुराने चौसाला खसरा नंबर 560 पर काश्त होना दर्शाया गया है परन्तु इसके पश्चात् की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है जबकि संवत् 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039 में नियमित रूप से अपीलांटस के पिता की काश्त होना दर्ज है । इसके पश्चात् हाल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2070 जिसका वर्ष 2013–2014 बनता है, में भी अपीलांटस स्वंय की काश्त दर्ज है जिससे यह सिद्ध होता है कि राजस्व कर्मचारियों ने सही रिपोर्ट पेश नहीं की थी । अपीलाधीन विवादित आराजी पर आज भी अपीलांटस के पिता एवं अपीलांटस का कब्जा काश्त नियमित रूप से चला आ रहा है जो कि हाल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2070 से स्पष्ट होता है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के पिता को किसी प्रकार की साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर केवल गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस के पिता एवं अपीलांटस का कब्जा काश्त होने से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में आवंटन के अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस को विवादित आराजियात आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अपीलांटस के द्वारा समय–समय पर लगाये गये शिविरों में कई बार यह प्रयास किया कि अपीलाधीन आराजियात के बाबत् अपीलांटस को कोई दादरसी प्राप्त हो जावे परन्तु किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा अपीलांटस की सुनवाई नहीं किये जाने से उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है । अपीलांटस ने नकल प्राप्त करने के का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.3.2015 को प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 13.5.2016 को प्रदान की गई जिससे अपील अविलम्ब तैयार करवाकर पेश की जा रही है । अपील में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील मियाद शुमार की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अधी0न्यायालय ने आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से विवादित आराजियात के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की है । पटवारी हल्का ने विवादित भूमि पर भू–संशोधन में अंकित खातेदार का मौके पर काबिज नहीं होना अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस के पिता स्व0 दशरथ का कब्जा काश्त नहीं रहा है । इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव में निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 31.1.1996 के विरूद्ध 29.8.2016 को लगभग 20 वर्ष की भारी मियाद बाहर अपील पेश की है । प्रार्थना पत्र में भी विलंब के ठोस

एवं समुचित कारण अंकित नहीं किये है । ठोस एवं समुचित कारणों के अभाव में इतने भारी विलंब को क्षम्य नहीं किया जा सकता है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अंकित कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाता है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा भू–संशोधन में अंकित खातेदारों की भूमियां चौसाला जमाबंदी में सिवायचक होने के कारण प्रकरण को आवंटन कमेटी के समक्ष रखे जाने पर अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त की है । खसरा संख्या 1625/705 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि भूसंशोधन जमाबंदी में दशरथसिंह पुत्र हजारी कौम नाई के नाम दर्ज थी किन्तु विवादित आराजियात पर दशरथसिंह का कब्जा काश्त नहीं होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का ने अधी0न्याया0 के समक्ष पेश की है जिसमें अंकित किया है कि भू–संशोधन में अंकित खातेदार मौके पर काबिज नहीं है । कब्जे काश्त के अभाव में आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता है । भू–संशोधन में अंकित खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राज/अभि/96/269 दिनांक 31.1.1996 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर